



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..2235 / 2016.....जिला.....बीकानेर.....



उनवान - मैसर्स ड्यूनेक ओटो मोबाईल्स प्रा०लि०, बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त विशष वृत, बीकानेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2016	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री मदन लाल, सदस्य श्री राजीव चौधरी, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.दौसाया एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 23(1) सपठित धारा 24(3)(बी) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू० 1,09,89,550/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। जिसके विरुद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4)/83 सपठित नियम 25 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी प्रकार की जांच किये विवादित राशि की बिक्री किया जाना प्रमाणित किये बिना भारी मात्रा में करारोपण किया है जो अविधिक है। व्यवहारी को इस वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6,02,16,636/- रू. का आर्थिक नुकसान हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 1,09,89,550/- की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.09.2016 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।</p> <p style="text-align: center;">  21/10/16 </p> <p style="text-align: right;">  लगातार.....2 </p>	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2235 / 2016.....

जिला.....बीकानेर.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21 / 10 / 2016	<p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी प्रकार की जांच किये विवादित राशि की बिक्री किया जाना प्रमाणित किये बिना भारी मात्रा में व्यवहारी पर करारोपण किया है। व्यवहारी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि व्यवहारी को इस वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6,02,16,636/- रु. का आर्थिक नुकसान हुआ है। चूंकि प्रकरण अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में विवादित राशि रुपये 1,09,89,550/- की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>8. आदेश प्रसारित किया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (राजीव चौधरी) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (मदन लाल) सदस्य </div> </div>	